वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली -110001

फाइल सं: 17-02(02)/50-HR-III/CHS दिनांकः 25/03/2026

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सीएसआईआर की प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों में निदेशकों/मुख्य वैज्ञानिकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक समिति की संशोधित संरचना के संबंध में ।

संदर्भ: सीएसआईआर के दिनांक 25/04/2025 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-02(02)/50-HR-III/CHS

सीएसआईआर के दिनांक 25/04/2025 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अधिसूचित सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के निदेशकों/मुख्य वैज्ञानिकों के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के निवारण हेतु आंतरिक समिति के गठन में आंशिक संशोधन करते हुए, माननीय अध्यक्ष, सीएसआईआर की ओर से माननीय उपाध्यक्ष, सीएसआईआर ने सुश्री नंदिनी पालीवाल, आईएएस (एजीएमयूटीः2002), तत्कालीन सचिव (उच्च शिक्षा/टीटीई), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (वर्तमान में दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल के सचिव के रूप में पदस्थापित) के स्थान पर सुश्री निहारिका राय, आईएएस (एजीएमयूटीः2002), सचिव-सह-आयुक्त, परिवहन विभाग को आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी के रूप में नामित किया है ।

तदनुसार, आंतरिक समिति का अद्यतन गठन निम्नानुसार है:

क्र. संख्या	नाम एवं पदनाम	आंतरिक समिति में भूमिका
1.	सुश्री निहारिका राय, आईएएस (एजीएमयूटीः2005), सचिव- सह-आयुक्त, परिवहन विभाग	पीठासीन अधिकारी
2.	प्रो. प्रदीप कुमार रमनचारला, निदेशक, सीएसआईआर-सीबीआरआई, रुड़की	सदस्य*
3.	डॉ. ललिता गोयल, मुख्य वैज्ञानिक, टीएमडी, सीएसआईआर मुख्यालय	सदस्य^
4.	डॉ. (श्रीमती) मानसी मिश्रा, विभागाध्यक्ष, अनुसंधान एवं ज्ञान प्रबंधन, सेंटर फॉर सोशल रिसर्च, नई दिल्ली	सदस्य*

*सदस्य का नामांकन सीएसआईआर के दिनांक 06.12.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-02(02)/50-HR-III/CHS के माध्यम से किया गया ।

^सदस्य का नामांकन सीएसआईआर के दिनांक 07.03.2024 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 17-02(02)/50-HR-III/CHS के माध्यम से किया गया ।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 की उप-धारा 3 के अनुपालन में, पीठासीन अधिकारी और सदस्य अपने नामांकन की तिथि से अधिकतम तीन वर्ष की अवधि तक पद पर बने रहेंगे ।

25/3/2026

(अनीता सिंह)
वरिष्ठ उप सचिव

प्रतिलिपिः

1. आंतरिक समिति के पीठासीन अधिकारी एवं सदस्य
2. प्रमुख,आईटीप्रभाग- इस अनुरोध के साथ कि उक्त कार्यालय ज्ञापन को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड कराएं ।